मुख्यमंत्री का निर्देश, मंडियों में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने वाले मालिकों को मंडी शुल्क में 25 फीसदी छूट दी जाएगी

मंडी समिति में खाद्य तेलों पर यूजर चार्ज खत्म

फैसला

लखनऊ,विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंडी परिषद संचालक मंडल की बैठक में प्रदेश की मंडियों में खाद्य तेलों पर यूजर चार्ज को समाप्त करने का फैसला किया गया है। साथ ही मंडियों में उपस्थल यानी साइलो, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने वाले मालिकों को मंडी शुल्क में 25 फीसदी छूट दी जाएगी। वहीं पांच करोड़ से ज्यादा की प्रसंस्करण इकाई के लिए अब जिलाधिकारियों को सात दिन के अंदर एनओसी मंडी परिषद को भेजना अनिवार्य होगा।

व्यापारी हित में फैसले: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के स्वास्थ्य का हाल जाना।

मुख्यमंत्री ने जाना महाना

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के घर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनका हालचाल जाना। तबीयत बिगड़ने पर जून में विधानसभा अध्यक्ष का गुरुग्राम में ऑपरेशन हुआ था। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना

- मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश मंडी परिसर में अतिक्रमण न होने पाए
- मंडी स्थल पर किसानों के लिए विश्राम स्थल बनाए जाएंगे

बैठक में ये अहम फैसले भी लिए गए

- चारों कृषि विश्वविद्यालयों में स्थापित होंगी टिशू कल्चर लैब
- गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरीपाल और मुरादाबाद की मंडियों में खाद्य तेल पर यूजर चार्ज समाप्त
- मुख्यमंत्री का निर्णय अब नगरीय क्षेत्रों में भी बनेंगे हाट-पैठ
- मंडी शुल्क न्यूनतम होने के बाद भी मंडियों से राजस्व संग्रह में हुई बढ़ोतरी सराहनीय
- मंडियों में फसलों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बनेंगे कोल्ड रूम
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में मंडी परिषद को हुई लगभग 1862 करोड़ रुपये की आय
- मंडी परिषद में दुकानों-चबूतरा आदि पर भी लागू होगी ई-ऑक्शन प्रणाली
- मंडियों में किसानों के लिए बनेंगे विश्राम कक्ष और होगी सस्ते दर वाली कैंटीन की व्यवस्था
- नव स्थापित प्रसंस्करण इकाई को मंडी शुल्क से छूट के लिए नियम हुए सरल, अब डीएम के समक्ष करना होगा आवेदन